न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/17 **निर्णय दिनांकः–** 23-11-17

1. भारत भूषण पुत्र लिखमीदास उर्फ श्री लक्ष्मीनारायण जाति साघ निवासी जस्सूसर गेट के अंदर बीकानेर जरिये मुखत्यारआम सुनील कुमार पुत्र मांगीलाल निवासी नोखा रोड़, बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
2. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. सचिव कृषि मण्डी, गंगानगर रोड़, बीकानेर।
4. सचिव, फल व सब्जी मण्डी, पूगल रोड़ बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व अंतिम डिक्री दिनांक 11–08–2016
सहायक कलेक्टर, बीकानेर।

उपस्थितिः–

1. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4
3. श्री तेजकरण सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री नन्दराम कासॅनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त सहायक कलेक्टर बीकानेर के निर्णय व डिक्री प्राथमिक दिनांक 11–08–2016 के विरूद्व पेश की है, जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से दावा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तहत खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटने दावा घोषणात्मक, चिर अस्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खेत खसरा नम्बर 1245/365 तादादी 84/4 बीघा वाके ग्राम चकगर्बी प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया। वादगत् भूमि वादी के पिता लिखमीदास उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम बतौर काश्तकार संवत् 2009 से चली आ रही है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतः ही खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई। वादगत् आराजी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के 84 बीघा 4 बिस्वा मे से 7 बीघा की खातेदारी दर्ज कर दी शेष आराजी को अराजीराज दर्ज कर दिया गया। उक्त आराजी से ही नया खसरा नम्बर 701, 703, 707 में कुछ 45 बीघा 11 बिस्वा पक्का बने। इन्हीं खसरा नम्बर में से बिना किसी सक्षम अधिकारी के राजस्व रिकार्ड में कृषि उपज मण्डी के नाम कुछ बीघा दर्ज कर दिया गया। इन सभी तथ्यों के साथ दावा में वादी ने अपनी भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने मण्डी के नाम जहॉ रिकार्ड में नाम दर्ज किया उसे हटाने एवं नाजायज कब्जा से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

उन्होंने आंगे बताया कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा पेश नहीं किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पस्तुत किा गया। जिसका जवाब वादी/अपीलांट द्वारा पेश करते हुए कथन किया गया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अपीलांट ने यह भी कथन किया कि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसमें कृषि उपज मण्डी के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए धारा 31 के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि वादगत् भूमि में मण्डी के नाम कितनी भूमि है और कितनी भूमि अपीलांट के नाम व आराजीराज दर्ज है। इसका विवरण दिये बिना दावा खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा कृषि उपज मण्डी के प्रावधानों के तहत

कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि आपत्ति जवाब में उठाई जा सकती थी। जिसका निस्तारण तनकी बनाकर साक्ष्य के पश्चात् होना चाहिए था। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि:—

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी राजस्थान आवासन मण्डल अधि. 1970 धारा 50 घोषणात्मक, निषेधाज्ञा का दावा, दो माह का नोटिस नहीं दिया, आज्ञापक प्रावधान। खातेदारी का अनुतोष चाहा। धारा 50 का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मैरिट पर निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड किया। गणपतलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 489 एचसी। इसी प्रकार आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 1003 में अभिनिर्धारित किया कि दावा मेरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त आधार पर व प्रस्तुत नजीरों के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मेरिट पर निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा दावा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की पालना किये बिना प्रस्तुत किया गया। वाद में मण्डी के विरूद्व किसी प्रकार के अनुतोष से पूर्व इस अधिनियम की धारा 31 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य ह। लेकिन वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है। जबकि इस अधिनियम के तहत यह आज्ञापक प्रावधान है कि मण्डी या उसके सदस्य अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व जो ऐसी मण्डी समिति या उसके सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के आदेश के अधीन कार्य करता है या वाद दायर करता है तो वाद दायर करने से पूर्व धारा 31 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, जो वादी/अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया। अदालत मातहत द्वारा भी इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट/प्रातिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत करने पर इसी आधार पर

वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया है। जो कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की पालना नहीं किये जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा विधि अनुसार खारिज किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा घोषणात्मक, चिर अस्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खेत खसरा नम्बर 1245/365 तादादी 84/4 बीघा वाके ग्राम चकगर्बी प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया व कथन किया कि वादगत् भूमि वादी के पिता लिखमीदास उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम बतौर काश्तकार संवत् 2009 से चली आ रही है। इस आधार पर वादी/अपीलांट स्वतः ही खातेदार होने चाहिए लेकिन इन्हीं खसरा नम्बर में से कुछ भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के राजस्व रिकार्ड में कृषि उपज मण्डी के नाम दर्ज कर दिया गया। इन सभी तथ्यों के साथ दावा में वादी ने अपनी भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने मण्डी के नाम जहॉ रिकार्ड में नाम दर्ज किया उसे हटाने एवं नाजायज कब्जा से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

(2) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा वाद राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की पालना किये बिना प्रस्तुत किया गया है। जबकि मण्डी के विरूद्व किसी भी तरह के वाद को करने से पूर्व इस अधिनियम की धारा 31 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था व इसी आधार पर वादी/अपीलांट का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर गणपतलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 489 एचसी मामलें पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि प्रस्तुत नजीरात् प्रकरण में वादगत् आराजी आवासन मण्डल के अधिकार क्षेत्र (पजेशन) में थी। जबकि हस्तगत् प्रकरण मेः—

1. वादगत् आराजी पर वादी/अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

2. मौके पर कृषि मण्डी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं दुकानें निर्मित है। अतः उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा नहीं होती है।

3. ऐसे में अपीलांट/वादी का दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बिना मण्डी को राजस्थान कृषि उपज मण्डी के अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के नोटिस नहीं दिया गया। जबकि अपीलांट/वादी को उक्त प्रावधान के तहत दावे से पूर्व नोटिस दिया जाना व मण्डी का जवाब लिया जाना आवश्यक था।

4. ऐसा न करके अपीलांट/वादी द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी के अधिनियम, 1961 की पालना नहीं की गई है।

(4) जबकि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 31 के तहत सूचना के अभाव में वाद का वर्जन – किसी मण्डी समिति या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व जो ऐसी मण्डी समिति या उसके सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के आदेश के अधीन कार्य करता हो, किसी भी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की हैसियत से किया गया है, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किा जा सकेगा जब तक कि एक लिखित सूचना, जिसमें वाद हेतुक, इच्छुकवादी का नाम और निवास स्थान और दावाकृत अनुतोष चाहा गया हो और जो मण्डी समिति के मामले में उसके कार्यालय में और ऐसे किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के मामलें में उनको नहीं दी गई हो या उनके कार्यालय या उनके सामान्य निवास स्थान पर नहीं पहुॅचा दी गई हो और उसके पश्चात् दो महीनें का समय नहीं बीत बया हो और वाद वत्र में इस प्रकार की सूचना देने या पहुॅचा देने का तथ्य अन्तर्विष्ट होगा। अदालत मातहत द्वारा वादी/अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार पर ही खारिज किया गया है कि वादी/अपीलांट द्वारा धारा 31 राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की पालना वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नहीं की गई है। जो कि आज्ञापक प्रावधान है।

(5) प्रकरण में यह तथ्य सही है कि वादी/अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 183, 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था। चूंकि वादी/अपीलांट द्वारा वाद में कृषि उपज मण्डी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान कृषि उपज मण्डी के अधिनियम,1961 के तहत **धारा 31 का नोटिस दिया आना अनिवार्य व आज्ञापक प्रावधान है। धारा 31 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य है। ऐसे नोटिस के अभाव में वादपत्र का वर्जन धारा 31 राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 द्वारा माना गया है। धारा 31 के प्रावधन आज्ञापक है।** अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर वादी/अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर दिनांक 11–08–2016 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर